Annexure - LIV

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779 फैक्सः

पत्रांक : 1738 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ / 2007 दिनांक : 13 / 4 / 2007

सेवा में,

1. सचिव, वित्त / निबन्धक, चिट्स फण्ड सोसायटीज.
2. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन
3. सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन
4. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
5. सचिव, संस्कृति, उत्तराखण्ड शासन
6. सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
7. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन
8. सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन

विषय– प्रशासकीय विभागों के नियंत्रणाधीन सरकार सहायता प्राप्त निबन्धित / गैर निबन्धित / अन्य संस्थाओं समितियों में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोग प्राधिकारियों, विभागीय अपीलीय अधिकारियों को नामित किये जाने, मैनुअल तैयार किये जाने एवं मासिक रिपोर्ट भेजे जाने विषयक।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त विभागों के अंतर्गत निबन्धित / गैर निबन्धित / अन्य सरकारी सहायता प्राप्त समितियों को अधिनियम से आच्छादित किये जाने के उद्देश्य से एक Action Plan बनाया गया है, उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित कर यथाशीघ्र आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(1) निबन्धित / गैर निबन्धित / अन्य सरकारी सहायता प्राप्त समितियों की कुल संख्या, सभी संस्थाओं के नाम तथा पते।

(2) सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के क्रम में समितियों के लोक सूचना अधिकारियों को नामित किये जाने विषयक समितिवार, दिनांकवार अधिसूचना।

(3) प्रशासकीय विभागों द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) क्रम में उक्त समितियों के विभागीय अपीलीय अधिकारियों को नामित किये जाने का अधिसूचना।

(4) सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) में स्वप्रकटन के अंतर्गत मैनुअल्स के प्रस्तुतीकरण की स्थिति।

(5) निबन्धित / गैर निबन्धित / अन्य सरकारी सहायता प्राप्त समितियों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति रिपोर्ट अनुरक्षित किये जाने एवं प्रेषित किये जाने की स्थिति।

उपरोक्त के संबंध में अनुरोध है कि ऐसी समितियां जिनका निबंधन पूर्व में हो चुका है, उनके द्वारा निबंधन की तिथि से निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति रिपोर्ट बनाकर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, भविष्य में पंजीकृत की जाने वाली समितियों के लिए उक्त प्राविधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि–सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव